

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल 2019—चैत्र 26, शक 1941

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2019

क्र. एफ-6-2-2019-सत्रह-मेडि-1.—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 59 के उप नियम (1) उपबंध के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उक्त नियम के भाग-6 के प्रयोजन के लिये अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर के क्षेत्रों के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करता है, अर्थात्:—

1. श्री देशराज सिंह राजपूत
2. श्री लोकेश गुप्ता
3. श्री देवेन्द्र कुमार जैन
4. श्री जय प्रकाश कुम्हार
5. कु. सोनम जैन
6. श्रीमती सारिका अग्रवाल
7. श्री शरद कुमार जैन
8. श्री अलकेश यादव
9. श्री कन्हैया लाल अग्रवाल
10. श्री योगेन्द्र यादव
11. श्री धर्म सिंह कुशवाह
12. श्रीमती अनामिका सिंह
13. श्री प्रदीप अहिरवार
14. श्री राधेश्याम चट्टी
15. श्रीमती पूजा भाभर

No. F. 6-2-2019-XVII-M-1.—In provision of sub rule (1) of the Druge & Cosmetics Rules, 1945, the state Government, hereby appoint following Drugs Inspectors working in the Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh, to be the Licensing Authority for the purpose of Part VI of the said rules for the areas within their respective jurisdiction namely:—

1. Shri Deshraj Singh Rajput
2. Shri Lokesh Gupta
3. Shri Devendra Kumar Jain
4. Shri Jai Prakash Kumhar
5. Ku. Sonam Jain
6. Smt. Sarika Agrawal
7. Shri Sharad Kumar Jain
8. Shri Alkesh Yadav
9. Shri Kanahaiya Lal Agarwal
10. Shri Yogendra Yadav
11. Shri Dharam Singh Kushwah
12. Smt. Anamika Singh
13. Shri Pradeep Ahirwar
14. Shri Radheshyam Vatti
15. Smt. Pooja Bhabhar

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.